मध्यप्रदेश शासन
गृह(पुलिस)विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

क्रमांक एफ0 13 102/2010/बी 1/दो, भोपाल, दिनांक 12/10/2012

प्रति,

1- पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश,
पुलिस मुख्यालय,भोपाल।

2 पुलिस महानिरीक्षक,
समस्त जोन,
मध्यप्रदेश

3 जिला दण्डाधिकारी,
समस्त मध्यप्रदेश

4 पुलिस अधीक्षक
समस्त मध्यप्रदेश

विषय- वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बल प्रयोग एवं शस्त्र प्रयोग के पश्चात दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के तहत संरक्षण।

संदर्भ- इस विभाग का समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ0 16 266/96/बी 1/दो, दिनांक 11.06.1996 एवं परिपत्र क्र0 एफ 12 24/2011/बी 1/दो दिनांक 24 जून 2011

--00--

उपरोक्त विषयक संदर्भित ज्ञापनों के माध्यम से वन अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन मे अतिक्रमण/अवैध कटाई/अवैध उत्खनन जैसे प्रकरणो मे आत्मरक्षार्थ शासकीय बन्दूक से गोली चालन जैसे कार्यवाही के समय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 197 के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त है किंतु स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी पाया गया है कि वन कर्मियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कर बिना दण्डाधिकारी जांच प्रसंज्ञान में लेकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं एवं धारा 197 के अंतर्गत अनुमति भी नहीं ली जा रही है।

अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु विभागीय आदेशों की छायाप्रतियां संलग्न है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(राजेश ओगरे)
अवर सचिव
म0प्र0शासन,गृह विभाग